(1)

238

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट भोपाल

निग॰ 2739-5/15 प्र.क्र.....................

हरनाथसिंह पुत्र ओंकार सिंह यादव
पता-ग्राम उमरिया तहसील शमशाबाद जिला विदिशा - आवेदक

विरूद्ध

1. सुरेश आ0 बाबूलाल
2. करणसिंह आ0 भीमसिंह

पता- ग्राम उमरिया तहसील शमशाबाद जिला विदिशा - अनावेदकगण

3. म0प्र0 शासन

निगरानी अंतर्गत म0प्र0भू0रा0सं0 की धारा 50 निगरानी विरूद्ध आदेश दि.20.07.15 प्र.क्र.1/अपील/12-13 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल

महोदय,

आंवेदक द्वारा प्रकरण का संक्षिप्त विवरण उल्लेख करते हुये यह निगरानी निम्न वैद्यानिक बिंदुओ पर निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ जानकारी दिनांक से अंदर म्याद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है :-

1- यह कि ग्राम उमरिया तहसील शमशाबाद जिला विदिशा में स्थित भू.क्र. 133/16 रकबा 2.00 हे0 भूमि का भूमिस्वामी अनावेदक क्र.2 करणसिंह पुत्र भीमसिंह थे।

2- यह कि अनावेदक क्र.2 करणसिंह ने रजि. विक्रय पत्र दि.15.07.02 द्वारा भू.क्र.133/16 रकबा 2.00 हे0 में से 1.00 हे0 भूमि आवेदक हरनाथसिंह को विक्रय की। उक्त विक्रय पत्र में विक्रेता ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि भू.क्र.133/14 से पूर्व में लगकर विक्रय की जला रही हैं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आवेदक हरनाथसिंह का नामातंरण पंजी क्र.9 आदेश दि.15.10.02 द्वारा नामातंरण किया गया।

(21 प्र०आ० 2739-बी/15

2.17

मोबाइल कैम्प

आवेदक की ओर से श्री एस के सक्सेना

उप०। अना० क्र० 1 की ओर से श्री [illegible]

आवेदक अधि० द्वारा बताया कि पक्षकारों के मध्य

आपसी राजीनामा हो जाने के कारण इस प्रकरण को

नोट प्रेस से समाप्त करने का निवेदन किया गया।

आवेदक अधि० के निवेदन पर प्रकरण Not Press

के रूप में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

Not Press.

सदस्य

[कृ. प. उ.